



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

F. No. 56/272/2021/PPS-IV

BY SPEED POST

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110 001
Dated: 17th January, 2023

To
The President,
Bahadur Insan Nagrik Dal,
Khata No. 678, Village Tema Z. Sherpur,
Post Gaura, Distt. Bhadohi,
Uttar Pradesh- 221404

Subject:- "**Bahadur Insan Nagrik Dal**"-Registration under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, as a political party - Regarding.

Sir,
I am directed to state that the Election Commission of India, after having considered your application dated **13.10.2021** for registration of "**Bahadur Insan Nagrik Dal**" as a political party and the documents produced in support of the statements/averments made/contained in the said application and the submissions made by authorized representative(s) of the party on **10.01.2023** in respect of the said application and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the Party under the said name in response to the Public Notice published by the applicant in the newspapers, has registered the "**Bahadur Insan Nagrik Dal**" as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on and with effect from **10.01.2023**.

2. The Registration Number of your party is **56/272/2021-2023/PPS-IV**.

3. As provided in sub-Section (9) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters. The communication of such changes shall be accompanied by the following:

- (i) An authenticated copy of the resolution passed by the competent body prescribed in the party constitution and the full proceedings of the meeting at which the decision of such changes is taken.
- (ii) Names of the office-bearers attending the said meeting.
- (iii) An attested copy of the extract of attendance register bearing signature of participating members in the said meeting.

Tel : 011-23052205-18, Fax : 011-23052223-25, Website : www.eci.gov.in

"मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी"
"Greater Participation for a Stronger Democracy"

-: 2 :-

4. It may be noted that the registration will not entitle the party to the reservation of any exclusive symbol for it. The candidates duly set up by the party at an election will be entitled to benefits of preference in allotment of free symbols over independent candidates under paragraph 12 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968. However, under the provisions of paragraph 10B of the Symbols Order, the candidates set up by a registered un-recognized political party contesting from a minimum of 5% of the seats, at a general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols, provided the Party fulfills each of conditions mentioned in the said Para 10B.

5. As per the provisions of Section 29B and 29C of the Representation of the People Act, 1951 (dealing with contribution to political parties) the party is required to submit to the Commission, a report of contribution received in excess of Rs. 20,000/- in a financial year, in the format in Form 24A appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. In such report, the party has to mention the Permanent Account Number (PAN) of the party. Therefore, you are advised to obtain Permanent Account Number (PAN) in respect of the party and inform the details of the same to the Commission within six months of the registration.

6. It is also informed that the Commission, while registering a political party, does not approve the flags of political parties, and if the party has a flag, it shall be the own responsibility of the party to ensure that the flag does not violate the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 or the flag Code of India or any other relevant law related to the subject, and that its flag does not imitate in any manner the flag of any other political party.

Yours faithfully,


(DILIP K. VARMA)
PRINCIPAL SECRETARY

Dated: 17th January, 2023

F. No. 56/2722021/PPS-IV

Copy to:

- (i) The Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Lucknow.
- (ii) The State Election Commissioner, Uttar Pradesh, 32 - Station Road, Lucknow - 226001, Uttar Pradesh.
- (iii) Political Party Section-III
- (iv) Guard File.


(DILIP K. VARMA)
PRINCIPAL SECRETARY



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

फा0 सं0- 56/272/2021/रा0द0अनु0-4

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110 001
दिनांक: 17 जनवरी 2023

सेवा में,

अध्यक्ष,

बहादुर इन्सान नागरिक दल,
खाता न0 678, ग्राम टेमा जेड,
शेरपुर, पोस्ट गौरा,
जिला भदोही,
उत्तर प्रदेश-221404.

विषय: **“बहादुर इन्सान नागरिक दल”**- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने **“बहादुर इन्सान नागरिक दल”** का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक **13.10.2021** के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक **10.01.2023** को दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन **“बहादुर इन्सान नागरिक दल”** को दिनांक **10.01.2023** से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. आपके दल की पंजीकरण संख्या **56/272/2021-23/रा0द0अनु0-4** है।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-

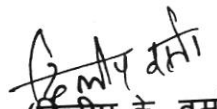
- (i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत्त जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
- (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
- (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का प्रकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गये अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आवंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के उपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10 ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अन्तर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में ₹0 20,000/- से अधिक प्राप्त सदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल को स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

6. यह भी सूचित किया जाता है कि किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करते समय आयोग राजनैतिक दलों के ध्वजों को अनुमोदित नहीं करता है और यदि दल का अपना ध्वज है तो यह उस दल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या भारत के फ्लैग कोड अथवा इस विषय से संबंधित अन्य किसी सुसंगत विधि के उपबंधों का उल्लंघन न करे और यह भी कि उसका ध्वज किसी अन्य राजनैतिक दल के ध्वज का किसी भी प्रकार से अनुकरण न करे।

भवदीय,


(दिलीप के. वर्मा)

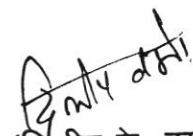
प्रधान सचिव

दिनांक: 17 जनवरी 2023

फा0 सं0- 56/272/2021/रा0द0अनु0-4

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 32- स्टेशन रोड, लखनऊ- 226001, उत्तर प्रदेश।
3. राजनैतिक दल अनुभाग-111
4. गार्ड फाईल।


(दिलीप के. वर्मा)
प्रधान सचिव